संख्या-247 /2022/972/41-2022/001-17-budget-2017

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 19 अप्रैल,2022**

विषयः-पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्पिरिचुअल सर्किट-4 योजना के अन्तर्गत गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के समेकित पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को देय जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-8261/के0यो0/गोर0देवी0-डुमरिया/2022 दिनांक 23 मार्च 2022/ शासनादेश सं0-219/2022/757/41-2022-17 बजट/2017 दिनांक 31.3.22 के क्रम में आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक पर्यटन मुख्यालय के पत्र सं0-144/3-8-0(आ0वि0अनु0)/2022 दिनांक 08 अप्रैल 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्पिरिचुअल सर्किट-4 योजना के अन्तर्गत गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के समेकित पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को देय जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासनादेश सं0-219/2022/757/41-2022-17 बजट/2017 दिनांक 31.3.2022 द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार रू0 2517857.14 (रूपये पचीस लाख सत्रह हजार आठ सौ सत्तावन एवं चौदह पैसे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी-

क्र0स0	कोड सं0	कार्य का नाम	जी0एस0टी0 मद में व्यय धनराशि	जी0एस0टी0 जमा करने की तीथि
1	11665 सी0ए0	गोरखपुर मंदिर का विकास	1753607.14	20.2.21
2	11665 सी0ए0	गोरखपुर मंदिर का विकास	764250.00	20.7.21
			2517857.14	

3. आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक पर्यटन मुख्यालय के पत्र सं0-144/3-8-0 (आ0वि0अनु0)/2022 दिनांक 08 अप्रैल 2022 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण नही किया जा सका।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा शासनादेश सं0-219/2022/757/41-2022-17 बजट/2017 दिनांक 31.3.22 को निरस्त करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संदर्भगत कुल धनराशि रू0 2517857.14 (रूपये पचीस लाख सत्रह हजार आठ सौ सत्तावन एवं चौदह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पैसे मात्र) को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 मद में धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी धनराशि की प्रमाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही किया जायेगा एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) यहअनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित नही है। यदि आगणन दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व गठित है तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत प्रयोजना हेतु जी0एस0टी0 की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानको का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस 2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर 2021, में निहित शर्तों एवं प्रविधान के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1**,48**,71**,000** (रूपये एक करोड अडतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **044** लेखा शीर्षक **5452801040107** स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बुद्धि सर्किट**,** रामायण सर्किट तथा कृष्ण सर्किट (के.100/रा.0-के.) मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त **(**आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**15/2021/**बी-**1-829/**दस-**2021-231/2022,** दिनांक- **30** दिसंबर**, 2021** एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के शासनादेश संख्या: **5/2022/**बी-**1-224/**दस-**2022-231/2022** दिनांक- **29** मार्च **2022** मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय**,**

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या-246 /2022/968/41-2022/001-76-</u> budget**-2018 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव,पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- आयुक्त/जिलाधिकारी सम्बन्धित मण्डल/जिला।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- संबंधित उप निदेशकगण,पर्यटन निदेशालय/संबंधित मण्डल।
10-परियोजना प्रबंधक, (सिविल/विद्युत) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इकाई, गोरखपुर।
11-वेब अधिकारी,पर्यटन विभाग।
12-गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।